अपील राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 संख्या 05/2020 (GCMS 2020/00153) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 71 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम 1. श्री ओमनाथ भाटिया, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर 2. तहसीलदार (राजस्व) श्री संजय अग्रवाल, श्रीगंगानगर 3. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.09.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नहीं है। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत धारा 02 राजस्थान लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2011 के तहत श्री ओमनाथ भाटिया, कनिष्ठ सहायक, श्री संजय अग्रवाल, तहसीलदार, श्रीगंगानगर एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के विरूद्ध पेश कर सुने जाने की प्रार्थना दिनांक 14.08.2020 को पेश होने पर दर्ज किया गया तथा एडमिशन के बिन्दु पर सुनवाई हेतु रखा गया।

राजस्थान लोक सेवा गांरटी अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वार अधिसूचित सेवाओं पर लागू होते है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी नियम के अनुसार विभिन्न विभागों के पदाभिहित अधिकारियां को निर्धारित समय सीमा में उक्त सेवाएं आवश्यक रूप से उपलब्ध करवानी होती है और समय सीमा में सूचना उपलब्ध न करवाने पर अधिनियम की धारा 6 के तहत अपील करने का अधिकारी है। राजस्थान **लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2011 की धारा 6(1) निम्नानुसार अवलोकनीय है।**

> **(1) कोई व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा 5 की उप–धारा (2) के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है या जिसे नियत समय सीमा में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है, आवेदन के नामंजूर होने या नियत समय सीमा की समाप्ति होने की तारीख के तीस दिवस के भीतर-भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील फाईल कर सकेगा :–**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

> **परन्तु प्रथम अपील अधिकारी तीस दिवस की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर–भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रवरित रहा था।**

राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 नियम 3 के तहत वांछित सेवा के लिए आवेदनकर्त्ता को पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त करने पर उसकी अभिस्वीकृति जारी की जाती है। अपीलार्थी द्वारा उक्त गांरटी अधिनियम के तहत कोई आवेदन प्रस्तुत कर अभिस्वीकृति प्राप्त करने की रसीद प्रस्तुत नहीं की है। अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश के तहत एवं सीपीसी की धारा 151 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आदेश चााहा है। **उक्त प्रकरण राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत बने नियमों के तहत जारी अनुसूची में उपखण्ड अधिकारी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में नहीं आता है और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.2020 राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत जारी किया गया है।** इसलिए अपीलार्थी की अपील राजस्थान लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत ग्रहण योग्य नहीं होने के कारण एडमिशन के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत ग्रहण योग्य न होने के कारण खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति** अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखिल [illegible] हो।

यह आदेश [illegible] मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:09 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर